बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

।। अधिसूचना।।

अधि० सं० :–प्र०2/स्था०–नियुक्ति–01–01/2018 5565(S) पटना, दिनांक : 9/11/22

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती नियमावली, 2019 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ–(1) यह नियमावली **"बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2022"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती नियमावली, 2019 के प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात दिनांक 06.03.2019 से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्ती नियमावली, 2019 के नियम–8 में संशोधन–**

उक्त नियमावली के नियम–8 (4) के उपरान्त नियम–8(5) निम्नवत् जोड़ा जायेगा :–

"8(5) चयन का आधार–(i) सहायक अभियंता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग के मूल कोटि सहायक अभियंता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता की गणना कर आयोग द्वारा किया जाएगा। संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर–निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम (ii) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(ii) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी :–

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता	75 अंक
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)।	25 अंक
कुल –	100 अंक

नोट :– परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

अर्थात अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक÷परीक्षा के कुल अंक) X 75

(iii) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंताओं (सिविल / यांत्रिक / विद्युत) को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी / गैर–निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों / संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 पटना,दिनांक....................

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 पटना,दिनांक....................

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह० / –

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 पटना,दिनांक....................

प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना / लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 पटना,दिनांक....................

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–पथ निर्माण मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–प्र०2 / स्था०–नियुक्ति–01–01 / 2018 5566(5) पटना,दिनांक 9/11/22

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव।

Government of Bihar
Road Construction Department
Notification

No.no.Sec.2/Estt-Appointment-01-1/2018/ 5565(S)/Patna, dated : 9/11/22

In exercise of Powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Engineering Service Class-II Recruitment Rule, 2019:-

1. Short title, extent and Commencement: -(1)These Rules may be called "The Bihar Engineering Service Class-II Recruitment(Amendment)Rules, 2022"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3)It shall come into force from the date of coming into force of the Bihar Engineering Services Class-II Recruitment Rules, 2019 i.e. 6.03.2019.

2. Amendment in rule 8 of Bihar Engineering Service Class-II Recruitment Rules, 2019:-

Rule 8(5) shall be added after rule 8(4) of the said rule as follow:-

"8(5) Basis of Selection- (i) The Selection for appointment to the posts of Assistant Engineers(Civil/Mechanical/Electrical) in the basic category of Assistant Engineer(Civil/Mechanical/Electrical) cadre shall be made by the Commission after calculating The marks obtained in the competitive examination conducted by the Commission and the preference of work done on the contract basis. The work experience of all government / non-private (central government, panchayat, municipal bodies etc.) offices / institutions under the State of Bihar shall be valid for the preference of work done on contract basis. Candidates having experience of working on the post of Assistant Engineer (Civil / Mechanical / Electrical) on contract basis, who fulfil the essential qualifications for the recruitment in this cadre, shall be given preference in selection by giving additional marks according to sub-rule (ii)of this Rule.

(ii) The merit list of the candidates shall be prepared on the following basis:

	Full Marks
(a) Weightage of marks obtained in the written examination conducted by the Commission	75 Marks
(b) Maximum weightage for the working experience on contract basis - (The weightage of per working year shall be 5 marks subject to the maximum limit of 25 marks. For any fraction of year of working experience, the proportionate weightage, the marks shall be calculated by multiplying the number of working days by 5 and dividing it by 365).	25 Marks
Total -	100 marks

Note:-To calculate the weightage of the marks in the examination, the percentage of marks obtained in the examination shall be multiplied by 0.75.

That is Weightage Marks= (the marks obtained in the examination /Full Marks of the examination) X 75

(iii) Assistant Engineers Civil/Mechanical/Electrical) already employed on contract basis will be given relaxation in the upper age limit for a period equivalent to the period worked on contract. For the above relaxation in upper age limit, work experience of all government / non-private (central government, panchayat, municipal bodies etc.) offices / institutions under the State of Bihar shall be valid. The period of working on contract basis shall be decided on the basis of the salary payment certificate issued by the controlling officer concerned. For this, the period up to the cut-off date mentioned in the advertisement published by the Commission may be counted for work experience.

By the order of Governor of Bihar,

Sd/-

(Pratyaya Amrit)
Additional Chief Secretary.

Memo No.- Sec.02/Estt.- Appointment-01-01/2018 Patna, Date………

Copy - Sent to the Accountant General (A & E) Bihar, Birchand Patel Path, Patna / Finance (Pay Slip Cell) Department, Bihar Patna along with two additional copies for information and necessary action.

Sd/-

(Pratyaya Amrit)
Additional Chief Secretary

Memo No.- Sec.02/Estt.- Appointment-01-01/2018 Patna, Date…………

Copy sent to the Officer-in-Charge, E-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna along with two hard copies and CDs for publication in the Bihar Gazette (through IT Manager Road Construction Department, Bihar,Patna).

Sd/-

(Pratyaya Amrit)
Additional Chief Secretary

Memo No.- Sec.02/Estt.- Appointment-01-01/2018 Patna, Date…………

Copy Sent to All Departments / All Heads of Departments /Secretaries, Bihar Public Service Commission, Bihar Patna/Chairman Bihar State Bridge Construction Corporation Limited Patna/Managing Director, Bihar State Road Development Corporation Limited, Patna /Additional Secretary Road Construction Department, Bihar, Patna/All Engineer-in Chief, Road Construction Departmen/ All Chief Engineers / All Superintending Engineers, Road Construction Department /Director, Training, Testing and Research Institute Patna / Secretary of Lokayukta, Bihar, Patna/All gazetted officer located at Headquarters for information and necessary action.

Sd/-

(Pratyaya Amrit)
Additional Chief Secretary

Memo No.- Sec.02/Estt.- Appointment-01-01/2018 Patna, Date.........

Copy to:- Personal Secretary to Additional Chief Secretary, Road Construction Department, Bihar, Patna /Principal Personal Secretary to Chief Secretary of Bihar, Patna/Personal Secretary to Hon'ble Deputy Chief (Road Construction) Minister, Bihar for information and necessary action.

Sd/-
(Pratyaya Amrit)
Additional Chief Secretary

Memo No.- Sec.02/Estt.- Appointment-01-01/2018 5566(S)/Patna, Date 9/11/22

Copy to :- Supertending Engineer (Monitoring), Road Construction Department, Bihar, Patna/ IT Manager, Road Construction Department, Bihar, Patna for information and to upload departmental website.

(Pratyaya Amrit)
Additional Chief Secretary